

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी ।

संख्या- 1424 / व्यवस्थापन/2018-19/जि0आ0अ0/कौशाम्बी/दिनांक, 05 मार्च, 2018

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक- 43544-618/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19/दिनांक: इलाहाबाद : मार्च 05 :: 2018 के अनुपालन में जनपद कौशाम्बी की समस्त भाँग की फुटकर दुकानों की नीलाम/ टेण्डर द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यवस्थापन हेतु समय- सारणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

क्र0	विवरण	तिथि
1	जनपद कौशाम्बी की समस्त भाँग की फुटकर दुकानों की नीलामी की तिथि एवं समय	दिनांक 19.03.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट कौशाम्बी के समा कक्ष में।

जनपद कौशाम्बी की फुटकर भाँग दुकानों की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता नगद/बैंक ड्राफ्ट से रू0 50000/- जमा कर दिनांक 18.03.2018 को समय 17:00 बजे तक तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से हाल टिकट नीलामी स्थल में प्रवेश हेतु प्राप्त करेगा। बोली बोलने हेतु उसे अपनी सम्पूर्ण बोली की धनराशि का आठवाँ भाग नगद धनराशि/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तीन नवीनतम फोटो, पहचान हेतु नियमानुसार पहचान पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को उच्चतम बोली के बारहवें भाग के बराबर धनराशि का भुगतान नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रथम किस्त के रूप में धनपात होने पर तुरन्त भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, कौशाम्बी कार्यालय के दूरभाष नम्बर- 0533-1232896 तथा मो0नं0- 9918486460 एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक मंझनपुर, मो0नं0- 9454466158, आबकारी निरीक्षक, सिराथू मो0नं0- 9454466159 एवं आबकारी निरीक्षक चायल मो0 नं0- 9454467025 से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

(बी0 पी0 मानिक)

जिला आबकारी अधिकारी
कौशाम्बी ।

(मनीष कुमार वर्मा)

जिलाधिकारी/ला0प्रा0,
कौशाम्बी ।

- प्रतिलिपि:-1- जिला सूचनाधिकारी, कौशाम्बी को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना- विज्ञान अधिकारी, कौशाम्बी को इस आशय के साथ प्रेषित कि संशोधित समय- सारणी का प्रदर्शन जनपद की वेबसाइट पर कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्पादक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, एवं यूनाइटेड भारत को इस आशय के साथ प्रेषित कि कम से कम स्थान में प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।

जिला आबकारी अधिकारी,
कौशाम्बी ।